



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 माघ 1947 (श10)

(सं0 पटना 209)

पटना, बुधवार, 18 फरवरी 2026

गृह विभाग (विशेष शाखा)

अधिसूचना

16 फरवरी 2026

सं० जी/विविध-20-18/2025-1810—चूँकि राज्यपाल, बिहार को यह समाधान हो गया है कि गेल (इंडिया) लिमिटेड की IP-02, ग्राम/टोला/मोहल्ला-डंडवा, पंचायत/वार्ड/थाना-मोहनियाँ, अंचल-मोहनियाँ, जिला-कैमूर (भभुआ), बिहार को, इस आधार पर कि उक्त संस्थान से संबंधित सूचना या इसका विनाश या कार्यकलाप में बाधा या उसमें हस्तक्षेप शत्रु के लिए उपयोगी होगा, शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-19) की धारा-2 के खंड-8 के उपखंड (घ) के अंतर्गत "प्रतिषिद्ध स्थान" घोषित किया जाना आवश्यक एवं समीचीन है;

तथा, चूँकि शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 की धारा-2 के खंड-8 के उपखंड (घ) के अंतर्गत "प्रतिषिद्ध स्थान" घोषित करने की शक्ति केंद्र सरकार में निहित की गई है;

तथा, चूँकि गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना सं०-667 दिनांक-13.02.1968 के माध्यम से बिहार राज्य में शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-19) की धारा-2 के खंड-8 के उपखंड (ग) एवं (घ) के अन्तर्गत "प्रतिषिद्ध स्थान" घोषित करने की शक्ति बिहार सरकार को प्रत्यायोजित की गई है।

अतएव, बिहार राज्यपाल उपर्युक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए गेल (इंडिया) लिमिटेड की IP-02, ग्राम/टोला/मोहल्ला-डंडवा, पंचायत/वार्ड/थाना-मोहनियाँ, अंचल-मोहनियाँ, जिला-कैमूर (भभुआ), जिसका भूमि सम्बन्धी विवरण इसके साथ उपाबद्ध अनुसूची-I में वर्णित है, को शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-19) की धारा-2 के खंड-8 के उपखंड (घ) के अंतर्गत तुरंत प्रभाव से "प्रतिषिद्ध स्थान" घोषित करते हैं।

अनुसूची- I

“प्रतिषिद्ध स्थान”का नाम— गेल (इंडिया) लिमिटेड की IP-02, ग्राम/टोला/मोहल्ला—डंडवा, पंचायत/वार्ड/थाना—मोहनियाँ, अंचल—मोहनियाँ, जिला—कैमूर (भभुआ), बिहार।

| अनुसूची क्रम सं० | खाता तथा खेसरा सं० |              | ग्राम एवं जिला                      | मौजा  | थाना संख्या | रकबा (एकड़ में) | चौहदी                                                                                  |
|------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------|-------|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                | 2                  |              | 3                                   | 4     | 5           | 6               | 7                                                                                      |
|                  | खाता संख्या        | खेसरा संख्या |                                     |       |             |                 |                                                                                        |
| 1                | 57                 | 109          | ग्राम—डंडवा<br>जिला—कैमूर<br>(भभुआ) | डंडवा | 535         | 1.72 ए०         | पूर्व— रामजी राय<br>प०— रामगढ़<br>मोहनियाँ मुख्य पथ<br>उ०— संतोष सिंह<br>द०— मीना देवी |

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
के. सुहिता अनुपम,  
सरकार के विशेष सचिव।

16 फरवरी 2026

सं० जी/विविध-20-18/2025-1810 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
के. सुहिता अनुपम,  
सरकार के विशेष सचिव।

*The 16<sup>th</sup> February 2026*

No. सं० जी/विविध-20-18/2025-1810--Whereas, The Governor of Bihar is satisfied that it is necessary and expedient to declare the IP-02 of Gail (India) Limited, Village/Tola/Mohalla-Dandawa, Panchayat/Ward/Thana-Mohania, Anchal-Mohania, District-Kaimur (Bhabhua), Bihar, to be "**Prohibited Place**" under the sub-clause (d) of clause 8 of section-2 of the Official Secrets Act, 1923 (Central Act No. 19 of 1923), on the ground that interference with respect thereto, or the distruction or obstruction thereof, or interference therewith, would be useful to an enemy;

And, wheareas, the power to declare '**Prohibited Place**' under sub clause (d) of clause 8 of section-2 of the Official Secrets Act, 1923(Central Act 19 of 1923), has been vested with the Government of India.

And, Whereas, Ministry of Home Affairs, Government of India, vide notification no.-SO- 667, dated-13.02.1968, delegated the powers to declare a "**Prohibited Place**" under sub clause c & d of clause 8 of section-2 of the Official Secrets Act, 1923 (Central Act 19 of 1923), in the state of Bihar to the State Government.

Now, therefore, in exercise of the abovementioned delegated powers, the Governor of Bihar is pleased to declare the IP-02 of Gail (India) Limited, Village/Tola/Mohalla-Dandawa, Panchayat/Ward/Thana-Mohania, Anchal-Mohania, District-Kaimur (Bhabhua), Bihar, as **Prohibited Place** under the sub clause (d) of clause (8) of section-2 of Official Secrets Act, 1923 (Central Act 19 of 1923), with immediate effect, description of which are mentioned in the following Schedule-I.

**Schedule-I**

**Name of the 'Prohibited Place'-** Gail (India) Limited of IP-02, Village/Tola/Mohalla-Dandawa, Panchayat/Ward/Thana-Mohania, Anchal-Mohania, District-Kaimur (Bhabhua), Bihar.

| S.L. No. | Khata and Plot No. |          | Village and District                    | Mauja   | Thana No. | Area (In Acre) | Boundary                                                                                      |
|----------|--------------------|----------|-----------------------------------------|---------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                  |          | 3                                       | 4       | 5         | 6              | 7                                                                                             |
|          | Khata No.          | Plot No. |                                         |         |           |                |                                                                                               |
| 1        | 57                 | 109      | Vill-Dandawa, District-Kaimur (Bhabhua) | Dandawa | 535       | 1.72 A         | East- Ramji Rai<br>West- Ramgadh-Mohania Main Road<br>North-Santosh Singh<br>South-Meena Devi |

By Order of the Governor of Bihar,  
K. Suhita Anupam,  
Special Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।  
बिहार गजट (असाधारण) 209-571+50-डी0टी0पी0।  
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>